दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 14 अगस्त, 1996/श्रावण 23, 1918(शक)

संख्या : 275

1 अगस्त, 1996 को श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने नियम 64 के अंतर्गत श्री मदन लाल खुराना के विरुद्ध श्री पी. वी. नरसिंहराव और श्रीमती ताजदार बाबर के बारे में तथाकथित आधारहीन आरोपों के कारण स्वयं और श्री दीप चन्द बंधु द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना के हक्र के बारे में जानकारी चाही थी । इस सूचना के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने नोटिस को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया है :–

"सूचना में जो कुछ भी कहा गया है उसके समर्थन में सदन को कार्यवाही में चूंकि कुछ भी नहीं लाया गया है, अत: ये आरम्भिक तौर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं है । वास्तव में किस तिथि को क्या कहा गया है, यह भी सूचना में नहीं बताया गया है ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE AND OTHER MATTERS)

Wednesday, August 14, 1996/Shravan 23, 1918 (Saka)

No.275

On Ist August, 1996, Shri Ramvir Singh Bidhuri had desired to know that fate of his notice of Breach of Privilege under Rule 64 given by him and Shri Deep Chand Bandhu against Shri Madan Lal Khurana for allegledly making baseless charges against Shri P.V. Narsimha Rao and Smt. Tajdar Babar. On this notice the Hon'ble Speaker has given the following order :

> "The notice is inadmissible ab initio, since there is nothing in the House proceedings to substantiate what has been stated in the notice. It does not also state as to what actually has been said and on which date".

P.N. GUPTA
SECRETARY